

सं0 सं0- 14 / एम 11-2/15  
 निदेशालय स्थास्थ सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ आजाद हिन्द प्रसाद  
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
 एस.एस. हौस्पीटल एडं सिर्जन सेंटर,  
 मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.12.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	दिलिप सहनी पिता—योगेन्द्र सहनी ग्राम+पो0—सैदपुर थाना—चकमेहसी जिला—समस्तीपुर	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	मास्टर अंकुश पिता—श्री पिंकु कुमार ग्राम+पो0—कटोना थाना—कतरी सराय जिला—नालंदा	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) स्वीकृत।
3	नंदेव मंडल पिता—गनपेत मंडल ग्राम—नौवटोलीया बघवा पो0—निपनीया थाना—बी0 कोठी जिला—पूर्णिया	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	मंसा देवी पति—स्व. फौजदारी मंडल ग्राम—मगुरजॉन पो0—नीपनीया थाना—बी0 कोठी जिला—पूर्णिया	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,95,000/-

३१/११/१७  
 ११/११/१७

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,95,000/- (एक लाख पनचानवे हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 509091 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम—इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम—हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं 509091 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 12-1-16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३१/१५/१६  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
३१/१५/१६

सं0 सं0 14/एम 11-2/15

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
हार्ट हौस्पीटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.12.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्र०सं0	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मृगेन्द्र कुमार सिंह पिता—बद्री नारायण सिंह ग्राम—भोरे दक्षिण टोला पो०+थाना—भोरे जिला—गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	जितेन्द्र कुमार पिता—शंभु राय ग्राम—खरजम्मा पो०—थाना—महनार जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	जितेन्द्र प्रसाद पिता—परमेश्वर प्रसाद ग्राम—कुर्जी बालुपर पो०—सदाकत आश्रम थाना—दीघा, जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	सत्येन्द्र पाल पिता—स्व. जगधारी पाल ग्राम—कवलपोखर पो०—महीला, थाना—इटाढ़ी जिला—बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹0 4,50,000/-

३१/१२/१५  
११/११/१५

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 509092 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 30002849889 खाता धारक का नाम—"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/चदम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं 509092 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 12-1-16

ज्ञापांक ५५ (५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में), सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

श. ई. ई. ई.